न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2021-97 RAAJodhpur2021-27RTA223 Sheraram etc Vs Tilokram etc

01. शेराराम पुत्र श्री बाबुलाल
02. लीला पुत्री श्री बाबुलाल
03. दिनेश पुत्र श्री बाबुलाल
04. श्रीमती परमा पत्नी श्री बाबुलाल
05. संजु पुत्री श्री बाबुलाल

अपीलार्थी संख्या 5 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता।
सभी जातियान् चौकीदार, निवासीगण- लवेरा कलां, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

--- **अपीलाण्ट्स**

ब

न

म

1. तिलोकराम पुत्र श्री देवाराम
2. श्रीमती सुवटी पत्नी श्री तिलोकराम,
   छोनो जातियान् मेघवाल, निवासीगण- बिरलोका, तहसील खींवसर, जिला नागौर। **वादीगण**
3. सोकिन पुत्र श्री शंकरराम
4. हरपाल पुत्र श्री शंकरराम
5. सीताराम पुत्र श्री शंकराराम
   a. राधा पत्नी सीताराम
   b. सेवाराम पुत्र श्री सीताराम
   c. प्रकाश पुत्र श्री सीताराम
   d. आत्मराम पुत्र श्री सीताराम
   e. मंशाराम पुत्र श्री सीताराम
   f. जगदीश पुत्र श्री सीताराम
   सभी जातियान् चौकीदार, निवासीगण- लवेराकलां, तहसील बावडी, जिला जोधपुर।
6. भूमिधारी तहसीलदार बावड़ी।

--- **रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर बावड़ी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 मई 2020 राजस्व वाद संख्या 152/2018 तिलोकराम बनाम सीताराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

--- 0 ---

उपस्थित -
श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री गणपत लाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 06

नि र्ण य

दिनांक : 29 अक्टूबर, 2021

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 मई 2020 राजस्व वाद संख्या 152/2018 तिलोकराम बनाम सीताराम के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 18 फरवरी 2021 को पेश की गयी है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पेश कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या एक ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28 मई 2020 को प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया आलौच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2020 विधि विरुद्ध, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से काबिले खारिज है। विद्वान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये आलौच्य आदेश पारित किया। यहां यह कहना न्यायोचित होगा कि वाद के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थीगण के पिता बाबुलाल का देहांत हो गया। अपीलार्थी को मुकमदे की जानकारी नहीं थी। न्यायालय ने दिनांक 19.07.2019 को नोटिस जारी करने का आदेश दिया, परन्तु ऐसे कोई नोटिस अपीलार्थीगण पर तामील नहीं हुए, उसके बावजूद भी आलौच्य आदेश पारित कर दिया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण की साक्ष्य भी कलमबद्ध नही की व न ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित करवाये, उसके बावजूद भी आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्त है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद रूपोसी तरीके से प्रस्तुत हुआ है, जिस पर भूमि के खातेदार जरिये बेचाननामा होना बता रहे है। उक्त बेचाननामे को निरस्त करने का वाद भी अपर जिला न्यायालय संख्या एक जोधपुर महानगर में लंबित है। उक्त वाद के नोटिस भी वादीगण पर तामील हो चुके है, जिसमें जवाब दावा भी उक्त वादीगण द्वारा दिया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण ने तथ्यों को छुपाकर न्यायालय के सामने झूठ बोलकर बेईमानी पूर्व तरीके से आदेश प्राप्त कर लिया। वादीगण का विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा व काश्त नहीं है। विवादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण की रहवासीय ढाणियां भी बनी हुई है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री को कोरोनाकाल की अवधि में जब राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवागमन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिबंधित था एवं यातायत के साधन भी उपलब्ध नही थे तथा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी निर्देश दिये गये कि न्यायिक कार्यो में पक्षकारों के विरूद्ध प्रभावी आदेश पारित नहीं करे, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय उक्त तमाम तथ्यों की अनदेखी कर निर्णय पापरित कर दिया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों की पालना किये बिना आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि आलौच्य आदेश 28.05.2020 प्रार्थीगण के पीठ के पीछे बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया है। प्रार्थी को हाल ही में दिनांक 04.02.2021 को जब प्रत्यर्थी तिलोकराम मौके पर आया व कहा कि भूमि पर कब्जा हम करेंगे व जबरन नाप करवाने को कहा एवं यह भी कहा कि मैने न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिया है, तब अपीलार्थीगण ने बावड़ी में अधिवक्ता से संपर्क किया व मालुमात दिनांक 09.02.2021 को किया तो पता चला कि सहायक कलक्टर बावड़ी ने आदेश पारित कर दिया है, जिस पर उसी रोज नकल हेतु आवेदन किया, जिस पर नकल उसी रोज दे दी गई। नकल प्राप्त करने के बाद खर्चे की व्यवस्था की एवं अपील तैयार करवाई जो आज ही प्रस्तुत की है। प्रार्थी ने जानबूझ कर या उद्धेश्य विशेष की प्राप्ति हेतु कोई विलंब नहीं किया है, उक्त विलंब सद्भावी था, जो क्षम्य योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वीकार फरमाया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमायी जावे तथा गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 मई 2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जावे एवं उन पर सभी पक्षों की सुनवाई करते हुए विभाजन प्रस्ताव की अंतिम डिक्री जारी की जावें।

जवाब में योग्य अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट /वादीगण वादग्रस्त आराजी के जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुई देरी का संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। **अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के कारण घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडान की अवधि में अपीलांट्स को**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। उक्त अवधि में माननीय राजस्व मण्डल के दिशा निर्देशानुसार न्यायिक कार्य बंद रहा तथा आवश्यक मामलो में ही सुनवाई किये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा पक्षकारान् को सुने बिना उनके विरूद्ध प्रभावी आदेश नहीं पारित नहीं किये जाने के निर्देशों के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम मय शपथ-पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 मई 2020 राजस्व वाद संख्या 152/2018 तिलोकराम बनाम सीताराम को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले मे उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/X/2021

नखतदान बारहठ
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर